

127

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. /2016 नि.

निज-2102-I-216

श्री पी. के. विवादी (स.)
द्वारा आज दि. 29-6-2016 को
प्रस्तुत

रजि. ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. मांगीलाल पुत्र किसन लाल उम्र-50 वर्ष
2. देवीशंकर पुत्र बजरंग लाल उम्र-47 वर्ष
3. कमलेश पुत्र जगन्नाथ उम्र-29 वर्ष
4. राम प्रसाद पुत्र रामचन्द्र वेरवा
5. रामकल्याण पुत्र रामचन्द्र वेरवा
6. बाबूलाल पुत्र गणेशा वेरवा
7. हरिप्रकाश पुत्र गोवरी लाल वेरवा पुरुषोत्तम पुत्र किशोर
8. पुरुषोत्तम पुत्र किशोर
9. राम नरेश पुत्र रामचरण
10. मुमत्तेश पुत्र पूरण मीणा
11. रामसिया पत्नी रामचरण समस्त निवासीगण -गांधीनगर, प्रेमसर, जिला, श्योपुर (म.प्र.)

बनाम

1. म.प्र. शासन
2. छोटीबाई पत्नी हरिशंकर वेरवा निवासी-ग्राम गांधीनगर, प्रेमसर, जिला श्योपुर (म.प्र.)

निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू- राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 24.06.2016 द्वारा पारित अपर कलेक्टर जिला श्योपुर प्र.क्र. 17/11-12 निगरानी

महोदय,

श्रीमान जी के समक्ष आवेदन पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत है :-

प्रकरण के तथ्य :-

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदिका क्रमांक 2 द्वारा प्रस्तुत शिकायती आवेदन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्र.क्र.


रजि. ऑफ कोर्ट

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2102-एक/16

जिला - श्योपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/02/2019	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p><u>आयुक्त चंबल संभाग मुरैना</u></p>	